पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य सेक्टर (नागर–शहरी के अन्तर्गत) अल्मोडा सीवरेज योजना जोन–III (Part-A) की पुनरीक्षित योजना के आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30 जुलाई, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे:–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री नितेश कुमार झा, सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. डॉ0 वी0 षणमुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री अयाज अहमद, मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री उदय राज सिंह, एम0डी0, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– अल्मोडा नगर में जलोत्सारण की कोई समुचित व्यवस्था न होने के कारण घरेलू Waste Water के Pollution से शहर के प्राचीन जल श्रोत प्रदूषित हो रहे है जिस कारण जन स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना बनी रहती है। शहर की बढती आबादी के सीवर के समुचित निस्तारण एवं उपचार की नितान्त आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तुत आगणन तैयार किया गया है।
2. **योजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता** :– अल्मोडा जलोत्सारण योजना जोन–III हेतु वर्ष 2004–05 में भारत सरकार से रू0 810.00 लाख स्वीकृत किये गये तथा वर्ष 2006–07 तक कुल रू0 484.96 लाख अवमुक्त किये गये। अवमुक्त धनराशि से सापेक्ष 20 कि0मी0 लम्बाई में सीवर लाइन एवं एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु भूमि क्रय की गयी। वर्ष 2007 के बाद विगत 14 वर्षो में योजना में कोई धनराशि अवमुक्त न होने के कारण श्रम एवं सामग्री दरों में वृद्धि के फलस्वरूप योजना का पुनरीक्षण आवश्यक हुआ।
3. **भूमि की उपलब्धता** :– अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्य हेतु भूमि उपलब्ध है।
4. **योजना प्राविधान** :– पुनरीक्षित योजना में जलोत्सारण हेतु Gap Filling एवं छुटे हुये क्षेत्रों के लिए 8633 मीटर सीवर लाइन 374 संख्या मैन होल, 1.5 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 का निर्माण एवं पुरानी बिछायी हुयी सीवर लाइन का उपयोग प्राविधानित है।
5. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :–**

5.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2021 को सम्पन्न हुई जिसमें योजना को व्यय वित्त समिति में प्रस्तुंतिकरण हेतु संस्तुति की गयी।

5.2 अल्मोडा शहर की भौगोलिक दृष्टि से शहर के जलोत्सारण योजना को 04 जोन में विभाजित किया गया है, वार्डवार विवरण निम्नानुसार है :–

S. No.	Zoning	Name of Ward
1	Zone-I	• Rajpura • Dhara Naula • Baleshwar • NTD (Partially) • Tripura Sundari (Partially) • Ramsila • Nanda Devi (Partially)

क्रमशः पृष्ठ–2/–

03.08.2021

2	Zone-II	• Murli Manohar • Narsing Bari
3	Zone-III (Part-A)	• NTD (Partially) • Tripura Sundari (Partially) • Laxmeshwar (Partially) • Badreshwar (Partially)
	Zone-III (Part-B)	• Badreshwar (Partially) • Tripura Sundari (Partially) • Laxmeshwar (Partially) • Vivekanandpuri (Partially) • Nanda Devi (Partially)
4	Zone-IV	• Vivekanandpuri (Partially) • Sela Khola • Ramsila

5.3 प्रथम जोन का कार्य वर्ष 1992 में प्रारम्भ हुआ तथा वर्ष 2003 तक पूर्ण हुआ। योजना वर्तमान में जल संस्थान के अधीन कार्यशील है।

5.4 जोन–II एवं जोन–IV में आबादी अपेक्षाकृत कम है इन दोनों जोन के जलोत्सारण के कार्य स्वच्छ भारत मिशन–2 (शहरी) के अन्तर्गत प्रस्तावित किया जाना अवगत कराया गया है।

5.5 जोन–III को (A) एवं (B) दो क्षेत्रों में बांटा गया है।

5.6 जोन–III (A) की जलोत्सारण व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा 07.07.2007 को रू0 810.00 लाख स्वीकृत किये गये जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या–2079/2004 दिनांक 22.09.2004 द्वारा रू0 400.00 लाख तथा शासनादेश संख्या– 385/2007 दिनांक 23.03.2007 द्वारा रू0 84.96 लाख कुल रू0 484.96 लाख की धनराशि आवंटित की गयी तथा योजनान्तर्गत 20 कि0मी0 सीवर लाइन एवं 1.5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 हेतु भूमि क्रय की गयी। योजना पर कुल वास्तविक व्यय रू0 498.54 लाख किया गया।

5.7 सीवरेज प्रणाली का डिजाइन निम्नानुसार अनुमानित जनसंख्या के आधार पर किया गया है :–

Description	**Present Year 2020**	**Base Year 2023**	**Middle Year 2038**	**Design Year 2053**
Premanent Population	7536	7742	8863	10136
Floating Population	4857	4885	5039	5215
Total	**12393**	**12627**	**13902**	**15351**

5.8 पुनरीक्षित योजना में 800 सीवर क्नेकशन किये जाने प्रस्तावित है।

5.9 योजना में टाइप प्रथम के दो स्टाफ क्वाटर, आफिस एवं प्रयोगशाला भवन का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है।

5.10 योजना में दरें एस0ओ0आर0 2019 एवं पेयजल निगम के विभागीय एस0ओ0आर0 2019 पर आधारित है।

5.11 योजना निर्माण अवधि 18 माह रखी गई है।

03.08.2021

क्रमशः पृष्ठ–3/–

5.12 आगणन में प्रस्तावित कार्य एवं उनकी लागत का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Item of Work	S.I.	NS.I.
1	Cost of Work Already Executed with centage under Sanction Estimate (Work Done)	1325.59	498.54
2	Total Cost of Proposed work (Civil + E/M) (Work to be Done)	-	1176.39
	Total	**1325.59**	**1674.93**
	Grand Total	**3000.52**	

परियोजना की कुल लागत :– रू0 3000.52 लाख

5.13 योजना में पूर्व प्रदत्त स्वीकृति रू0 484.96 लाख के सापेक्ष वास्तविक व्यय रू0 498.54 लाख पुनरीक्षित लागत में सम्मिलित की गयी है।

5.14 योजना में रू0 289.33 लाख की कटौती रोड कटिंग के उपरान्त मरम्मत कार्य में त्रुटिपूर्ण प्राविधान, GST में त्रुटिपूर्ण गणना तथा मात्राओं में भिन्नता एवं गणनाओं में त्रुटि के कारण की गयी है।

6. व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी चर्चा के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–5.12 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 3000.52 लाख** को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

6.1 सामग्री एवं उपकरण क्रय हेतु ई–प्रोक्योरमेन्ट एवं जैम पोर्टल/पारदर्शी एवं खुली निविदा के माध्यम से वित्तीय नियमों के अनुसार अधिप्राप्ति नियमावली–2017 का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6.2 योजना कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6.3 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, स्टोन, पाईप, cement एवं अन्य का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।

6.4 **कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त डिजाइन एवं ड्राइंग प्रतिष्ठित संस्थान से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होगा।**

6.5 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Design and Drawing विभागीय सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाय।

6.6 आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु एस0ओ0आर0/ उत्तराखण्ड पेयजल की विभागीय दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

क्रमशः पृष्ठ–4/–

6.7 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

6.8 समिति का यह मंतव्य है कि प्रारम्भ में राज्य सेक्टर से धन की व्यवस्था की जाय, कार्य के सुचारू संचालन हेतु धन की व्यवस्था यथा वाह्य सहायतित परियोजना/ सी0एस0एस0/स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि से सुनिश्चित की जाय।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 6.1–6.8 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों पर शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 902 /729/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/पेयजल/2021–22
देहरादूनः दिनांकः 11, अगस्त, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(डॉ0 वी0 षण्मुगम)
सचिव (प्रभारी)